**मूल हिंदी में**

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 2660**
17.03.2025 को उत्तर के लिए

**मरुस्थल को हरित क्षेत्र में बदलने की योजनाएं**

**2660. श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ :**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा देश में मरुस्थलों को हरित क्षेत्रों में बदलने के लिए नीति आधारित प्रयास किए जा रहे हैं;
(ख) यदि हां, तो राजस्थान सहित देश में रेगिस्तानी क्षेत्रों को बेहतर बनाने के लिए किए गए प्रयासों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने रेगिस्तानी क्षेत्र के विकास के लिए स्थानीय संस्थाओं/व्यक्तियों/व्यक्तियों के समूहों का सहयोग प्राप्त करने के लिए कदम उठाए हैं; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री**
**(श्री कीर्तवर्धन सिंह)**

(क) से (ग) सरकार ने भूमि अवक्रमण और मरुस्थलीकरण को रोकने, वनीकरण को बढ़ावा देने, मृदा की गुणवत्ता में सुधार करने, जल संरक्षण करने और मरुस्थल क्षेत्रों की समग्र संधारणीयता सुनिश्चित करने के लिए अनेक नीति आधारित उपाय किए हैं, जैसे कि :

(i) अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (एसएसी), भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, अहमदाबाद द्वारा भारत में भूमि अवक्रमण और मरुस्थलीकरण की राज्य-वार सीमा का ब्यौरा देने वाले भारत के मरुस्थलीकरण और भूमि अवक्रमण एटलस का प्रकाशन करना। यह एटलस, महत्वपूर्ण आंकड़े और तकनीकी सूचनाएं प्रदान करके भूमि की पुनर्बहाली पर लक्षित स्कीमों की आयोजना और क्रियान्वयन हेतु एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य करता है। भूमि के अवक्रमित क्षेत्र का अवक्रमणकारी प्रक्रियाओं के साथ संबंध स्थापित करने के लिए अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र (एसएसी), अहमदाबाद की सहायता से एक ऑनलाइन पोर्टल भी विकसित किया गया है।

(ii) भूमि अवक्रमण नियंत्रण (एलडीएन) के अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति के साथ भूमि अवक्रमण संबंधी मुद्दों का निराकरण करने में अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तरों पर पक्षकारों को शामिल करने और उन्हें समर्थ बनाने के लिए भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई), देहरादून में संधारणीय भूमि प्रबंधन हेतु उत्कृष्टता केन्द्र (सीओई-एसएलएम) की स्थापना करना। इसका उद्देश्य दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ाना, ज्ञान सहभाजन, सर्वोत्तम पद्धतियों को प्रोत्साहन, लागत-प्रभावी और संधारणीय भूमि प्रबंधन संबंधी कार्यनीतियों के संबंध में भारत के अनुभवों को साझा करना तथा परिवर्तनकारी परियोजनाओं और कार्यक्रमों एवं क्षमता निर्माण के लिए नए विचार विकसित करना है।

(iii) भारत के गर्म शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में वानस्पतिक आवरण में वृद्धि करने और जैवविविधता के संरक्षण पर लक्षित प्रौद्योगिकियां विकसित करने के लिए वानिकी क्षेत्र में आईसीएफआरई - शुष्क वन अनुसंधान संस्थान (आईसीएफआरई-एएफआरआई), जोधपुर द्वारा अनुसंधान किया जाना।

(iv) पेरिस में जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) से संबंधित पक्षकारों के सम्मेलन (सीओपी), 2015 में भारत ने स्वैच्छिक बॉन चैलेंज को स्वीकार किया और अब इसने वर्ष 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर अवक्रमित वन भूमि की पुनर्बहाली करने का संकल्प लिया है।

(v) कृषि उत्पादकता में सुधार और वनीकरण प्रयासों का समर्थन करने के लिए विशेष रूप से राजस्थान जैसे शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में सिंचाई संबंधी समाधान प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ जल संरक्षण पद्धतियों और दक्ष सिंचाई को प्रोत्साहित करके शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में जल की उपलब्धता में सुधार करके मरुस्थलीकरण नियंत्रण में योगदान देने वाली प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) का कार्यान्वयन।

इनके अलावा, भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित की गई विभिन्न वनीकरण संबंधी स्कीमों के माध्यम से हरित आवरण को बढ़ाकर और उसमें सुधार करके मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए कई पहलें की जा रही हैं। यह मंत्रालय, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (जीआईएम) और वनाग्नि सुरक्षा एवं प्रबंधन स्कीम (एफएफपीएम) नामक अपनी प्रमुख स्कीमों के तहत वनों के संरक्षण, विकास और संवर्धन हेतु केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के माध्यम से विभिन्न वनीकरण कार्यकलापों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता भी प्रदान करता है। इसके अलावा, प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण (काम्पा) के अंतर्गत प्रतिपूरक वनीकरण निधि से वनीकरण करने और परिणामस्वरूप मरुस्थलीकरण को रोकने में योगदान मिलता है। इनके अलावा, राज्य सरकारें भी भूमि अवक्रमण का निराकरण करने के लिए वृक्षारोपण/वनीकरण हेतु विभिन्न स्कीमें क्रियान्वित करती हैं। इन कार्यक्रमों और स्कीमों को संबद्ध विभागों, स्थानीय निकायों, संयुक्त वन प्रबंधन समितियों आदि के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है, जिससे इस प्रयास में स्थानीय संस्थाओं/व्यक्तियों/व्यक्तियों के समूह का सहयोग मिलना सुनिश्चित होता है। पर्यावरणीय परिस्थितियों, मानव कार्यकलापों और भूमि अवक्रमण के प्रभावों के बीच अन्योन्य क्रिया के परिवर्तनशील होने के कारण मरुस्थलीकरण और भूमि अवक्रमण की रोकथाम करना एक गतिशील प्रक्रिया है इसलिए संगत अनुकूलन, उपशमन संबंधी कार्यनीतियों और सभी हितधारकों के सहयोग की नियमित निगरानी और मूल्यांकन करना अपेक्षित है।

*****